

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मई 2001

क्र.एफ.3-165-95-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा में भरती संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 हैं.
- (2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषायें - इन नियमों, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोजित की जाए.
 - (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिये नियम-11 के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा
 - (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के राज्यपाल.
 - (घ) "सरकार" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के सरकार.
 - (ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/4/84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.
 - (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों से संलग्न अनुसूची.
 - (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति, का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
 - (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
 - (झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित समिति,
 - (ञ) "राज्य" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश राज्य.
 - (ट) "सेवा" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा

3. विस्तार तथा लागू होना – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हैं.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गये हो, तथा

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची – एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी.

परन्तु सरकार, समय समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् –

(क) सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

(ख) अनुसूची –चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद, जैसे कि इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए,

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन सीधी भरती किए गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची – एक में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ, अनुसूची –दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात में होते हुए भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किये गये सेवा में भरती के उन तरीकों से निम्न भरती का ऐसा तरीका अपना सकेगा, जैसा वह इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित करें.

7. सेवा में नियुक्ति – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में यथाविनिर्दिष्ट तारीकों द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें – प्रतियोगिता परीक्षा, में पात्रता के लिए अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् –

(एक) आयु –

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची “तीन” के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो.

(ख) यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) मध्यप्रदेश, सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम 1977 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं/कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी –

(एक) कोई अभ्यार्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कोई अभ्यार्थी, जो अस्थायी सरकारी सेवक हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्तियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यार्थी की, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा की गई समस्त अस्थायी सेवाओं की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि को भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा के तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण – पद “छटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मित्तव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यार्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था।

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन नियुक्त कर दिया गया हो।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भरती किया गया हो और जिन्हें –(क) अल्पकालीन बचनबंध पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवान्मुक्त कर दिया गया है।
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी।
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवान्मुक्त किये हों।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (ड़) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यार्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) “विक्रम पुरस्कार” धारक अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा, 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी :- (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त उपनियम (ग)(एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश की अनुमति दी गई हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन से पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी :- (दो) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(दो) शैक्षणिक अर्हताएँ :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि अनुसूची तीन में दर्शाई गई है,

परन्तु -

(क) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हित मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी के परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचारण को न्यायोचित ठहराती हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में भी जो अन्यथा अर्हित हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विश्वविद्यालयों से उपाधियाँ प्राप्त की हों, जो विश्वविद्यालय होते हुए भी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्य प्राप्त नहीं हैं, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.

(3) फीस:- अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा।

9. निरर्हता : अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार/चयन के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा- परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

11. (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती – (1) (एक) सेवा में भरती के लिए परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्त प्राधिकारी, समय समय पर, अवधारित करें.

(दो) सरकार द्वारा, समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा ली जावेगी.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर पद, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबन्धों के अनुसार 30 प्रतिशत पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थी की, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर उपनियम-3 के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि ऐसी संभावना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची – (1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें, योग्यता के क्रम में बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की भी सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हो, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यकता समझी जाए, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यार्थी, सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) सूची, समिति द्वारा उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. परिवीक्षा – सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति – (1) पात्र अभ्यार्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची "चार" में यथा उल्लिखित सदस्य होंगे।

परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्धों का अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक सामान्यतः ऐसे अन्तरालों में होगी, जो एक वर्ष से अधिक न होगा,

(3) पदोन्नति में आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(4) आरक्षित रिक्त स्थानों में पदोन्नति की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तें, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. पदोन्नति /स्थानांतरण हेतु पात्रता की शर्तें – (1) (क) उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन, उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जाना है, कम से कम उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मौलिक रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।

(ख) लेखापाल एवं उससे उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) सहायक ग्रेड-3 के रिक्त स्थानों के 25 प्रतिशत पदों पर ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उस चतुर्थ श्रेणी पद पर लगातार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा), नियम, 1997 के उपबंध, पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र के लिए लागू होंगे।

16. उपर्युक्त अभ्यार्थियों की सूची तैयार करना – (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो ऊपर नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हो और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर तथा तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए, मानदण्ड ज्येष्ठता—सह—उपयुक्तता (सीनियरटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा.

(3) ऐसी चयन सूची को तैयार करने के समय चयन सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम अनुसूची "चार" के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता तथा उपयुक्तता का हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान समनुदेशित किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण – ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नति न किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से ही, उन व्यक्तियों के पर जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया जाता है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलेखित करेगी.

17. चयन सूची – (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, उस सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हो, के साथ, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में वर्णित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम 16 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता, उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण में या कर्तव्यों के अनुपालन में चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन समिति द्वारा किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची में से हटा सकेगी.

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति – (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आये हों.

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो या जो चयन सूची में अगले क्रम पर न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

(2) ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्तियों की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसा ही हो जो सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त बनाती हो।

19. परिवीक्षा : सेवा में भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा. किन्तु जहां पदोन्नति का पद सीधी भरती द्वारा भरा जाने वाला हो वहां परिवीक्षा की कालावधि, उक्त पद के लिए विहित परिवीक्षा कालावधि के समान होगी।

20. निर्वचन – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. शिथिलीकरण – इन नियमों में, की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्तियों को सीमित या कम करती हो. परन्तु कोई भी मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जहां कि इन नियमों में उपबंधित रीति से उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति – इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित किए गये आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरसन और व्यावृत्ति – इन नियमों के तत्स्थानों और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुराग श्रीवास्तव, उप सचिव

भोपाल, दिनांक 08 मई 2001

क्र. 3-165-95-दस-1 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना दिनांक 08 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुराग श्रीवास्तव, उप सचिव

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2009

क्र.एफ.3-37-2009-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे दी गई टिप्पणी का लोप किया जाए,

No.F-3-37-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) forest Services Recruitment Rules 2000, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, the note given below the scheduled III shall be omitted.

क्र.एफ.3-36-2009-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे दी गई टिप्पणी का लोप किया जाए,

No.F-3-36-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 2000, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, the note given below the scheduled III shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.के. कातिया, अवर सचिव

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2008

क्र एफ-3-30-2008-दस-1- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक तथा दो के स्थान पर, निम्नलिखित-अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

अनु. क्रं.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम		पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान
			स्थायी	अस्थायी	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधीक्षक	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	10 12	3 5	30	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5500-175-9000
2	लेखा अधीक्षक	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	33 34	6 7	80	—''—	5000-150-8000
3	सहायक ग्रेड-एक	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	54 84	20 22	180	—''—	4500-125-7000
4	लेखापाल /सहायक ग्रेड-दो	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	83 1010	19 263	1375	—''—	4000-100-6000
5	स्टेनो टायपिस्ट	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	2 3	— 4	9	—''—	3050-75-3950-80-4590
6	सहायक ग्रेड-तीन	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	110 1506	47 268	1931	—''—	3050-75-3950-80-4590
7	वरिष्ठ निज सहायक, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	11	4	15	—''—	6500-200-10500
8.	निज सहायक मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	32	13	45	—''—	5500-175-9000
9	शीघ्रलेखन	मुख्यालय	88	49	137	—''—	4500-125-7000

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय					
---------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम		कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगी परीक्षा नियम 6 (क) देखिए	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा
1	2	3	4	5	6	7
वन विभाग	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) वन सेवा	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	13 17	—	100 %	—
	1. अधीक्षक मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	39 41	—	100 %	—
	2. लेखा अधीक्षक मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	74 106	—	100 %	—
	3. सहायक ग्रेड-एक मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	102 1273	—	100 %	उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति से
	4. लेखापाल /सहायक ग्रेड-दो मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	2	100 %	—	—
	5. स्टेनो टायपिस्ट मुख्यालय	मुख्यालय				

	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	7			
	6. सहायक ग्रेड-तीन मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	157 1774	75 %	25% अर्ह. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से	—
	7. वरिष्ठ निज सहायक मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	15	—	100 %	—
	8. निज सहायक मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	45	—	100 %	—
	9. शीघ्रलेखक मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	137	50 %	50 % अर्ह. स्टेनो टाइपिस्ट से	

अनुसूची-1
(नियम-5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु. क्र०	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	अन्य अस्थायी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	अधीक्षक मुख्यालय एवं वृत्त कार्यालय	30	12		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5000-150-8000
2.	लेखा अधीक्षक वृत्त एवं संभाग कार्यालय	99	15		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4500-125-7000
3.	सांख्यिकी सहायक मुख्यालय	2	1		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4500-125-7000
4.	सहायक ग्रेड-1 वृत्त एवं संभाग कार्यालय	194	61		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4500-125-7000
5.	लेखापाल/स्था. लिपिक वृत्त एवं संभाग कार्यालय	1010	409		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4000-100-6000
6.	सहायक ग्रेड-2 वृत्त एवं संभाग कार्यालय	485	188		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4000-100-6000
7.	स्टेनो टायपिस्ट	12	16		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	3050-75-3950- 80-4590+ समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया विशेष वेतन
8.	संगणक चालक	9			तृतीय श्रेणी लिपिकीय	3500-80-4700
9.	सहायक ग्रेड-तीन मुख्यालय, वृत्त, संभाग एवं परिक्षेत्र कार्यालय	2285	586		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	3050-75-3950- 80-4590
10.	प्रथम श्रेणी शीघ्रलेखक मुख्यालय	12	4		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	6500-200-10500
11.	स्टेनो ग्रेड -2 मुख्यालय एवं वृत्त कार्यालय	36	14		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5500-175-9000
12.	स्टेनो ग्रेड -3 मुख्यालय वृत्त संभाग एवं वनमंडल	135	66		तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4500-125-7000
13.	समयपाल	1			तृतीय श्रेणी लिपिकीय	3050-75-3950- 80-4590

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			
			प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 6 (क) देखिए	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
1	2	3	4	5	6	
वन विभाग	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) वन सेवा	(1) अधीक्षक मुख्यालय एवं वृत्त कार्यालय	42	—	100 %	—
—तदैव—	(2) लेखा अधीक्षक मुख्यालय, वृत्त एवं कार्यालय	114	—	100 %	—	
—तदैव—	(3) सांख्यिकीय सहायक मुख्यालय	3	—	100 %	100 %	
—तदैव—	(4) सहायक ग्रेड—एक मुख्यालय, वृत्त एवं संभाग कार्यालय	225	—	100 %	—	
—तदैव—	(5) लेखापाल/स्था. लिपिक मुख्यालय, वृत्त एवं संभाग कार्यालय	1419	—	100 %	उपयुक्त उपलब्ध न होने की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा	
—तदैव—	(6) सहायक ग्रेड—दो मुख्यालय, वृत्त एवं संभाग कार्यालय	773	—	100 %	—	
—तदैव—	(7) स्टेनो टायपिस्ट	28	100 %	—	—	
—तदैव—	(8) संगणक चालक	9	100 %	—	—	
—तदैव—	(9) सहायक ग्रेड—तीन मुख्यालय, वृत्त, संभाग एवं परिक्षेत्र कार्यालय	2872	75 %	अर्ह. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 25%	—	
—तदैव—	(10) प्रथम श्रेणी शीघ्रलेखक मुख्यालय	16	100 %	100 %	—	
—तदैव—	(11) स्टेनो ग्रेड—दो मुख्यालय एवं वृत्त कार्यालय	50	—	100 %	—	
—तदैव—	(12) स्टेनो ग्रेड—तीन मुख्यालय, वृत्त, संभाग एवं वनमंडल	201	50 %	अर्ह. स्टेनो टायपिस्ट से 50%	—	
—तदैव—	(13) समयपाल		100 %			

* लाख का कारखाना (शैलाक फैक्ट्री) के बंद हो जाने के कारण समयपाल का एक पद रिक्त है।

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम		आयु सीमा		विहित शैक्षणिक अर्हताएं
			न्यूनतम	अधिकतम	
1	2		3	4	5
वन विभाग	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा	सहायक ग्रेड-तीन परिक्षेत्र लिपिक समयपाल-लाख कारखाना (शैलाक फैंक्ट्री)	18 वर्ष	30 वर्ष एवं नियम 8(1) के अनुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी) या 10+2 प्रणाली में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो। उक्त अर्हता के अतिरिक्त उसे मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	-तदैव	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	-तदैव-	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी) या 10+2 प्रणाली में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्रलेखन तथा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति से उत्तीर्ण होना चाहिए।
	-तदैव	संगणक	18 वर्ष	-तदैव-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।
	-तदैव	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	-तदैव-	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पुरानी हायर सेकेण्डरी या हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. शीघ्रलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति।

टिप्पणी- अभ्यर्थी को पुरानी हायर सेकेण्डरी, 10+2 प्रणाली में हाईस्कूल उत्तीर्ण या स्नातक मध्यप्रदेश में स्थित स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यदि किसी पद के लिए हायर सेकेण्डरी से नीचे की योग्यता विहित की गई हो, तो वह परीक्षा भी मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्कूल से उत्तीर्ण होनी चाहिए,

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	सेवा अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति या चयन (विधि या) की प्रक्रिया (चयनोत्तर विधि)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5	6
वन विभाग	चतुर्थ श्रेणी सेवक वृत्त एवं संभाग कार्यालय	5 वर्षों की नियमित सेवा	सहायक ग्रेड-तीन वृत्त कार्यालय	ज्येष्ठता-सह-योग्यता	संभाग एवं वृत्त कार्यालयों में पदोन्नति के लिए तीन संभागीय वन अधिकारी
	चतुर्थ श्रेणी अधीनस्थ कर्म. मुख्यालय	-तदैव-	सहायक ग्रेड-तीन वृत्त मुख्यालय	-तदैव-	तीन संभागीय वन अधिकारी
	सहायक ग्रेड-तीन वृत्त एवं संभाग कार्या.	-तदैव-	सहायक ग्रेड-दो वृत्त एवं संभाग कार्यालय	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-तीन मुख्यालय	-तदैव-	सहायक ग्रेड-दो मुख्यालय	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-दो एवं संगणक मुख्यालय	-तदैव-	लेखापाल मुख्यालय	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-दो वृत्त एवं संभाग कार्यालय	-तदैव-	लेखापाल/स्था. लिपिक वृत्त एवं संभाग कार्यालय	-तदैव-	-तदैव-
	लेखापाल मुख्यालय	-तदैव-	सहायक ग्रेड-एक/ सहा.अधीक्षक/ मुख्य लिपिक मुख्यालय	-तदैव-	मुख्यालय एवं राज्य स्तर की पदोन्नति के लिए- 1. अप्रमुवसं (अराजपत्रित) 2. अप्रमुवसं (राजपत्रित) 3. एक-वस (मुख्यालय) जिसका चयन समय-समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा।
	लेखापाल/स्था. लिपिक वृत्त एवं संभाग कार्यालय	-तदैव-	सहायक ग्रेड-एक वृत्त एवं संभाग कार्यालय	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-एक राज्य स्तर पर	2 वर्षों की नियमित सेवा	लेखा अधीक्षक राज्य स्तर पर	-तदैव-	-तदैव-
	लेखा अधीक्षक राज्य स्तर पर	3 वर्षों की नियमित सेवा	अधीक्षक राज्य स्तर पर	-तदैव-	-तदैव-
	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	5 वर्षों की नियमित सेवा	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	-तदैव-	-तदैव-
	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	-तदैव-	शीघ्रलेखक ग्रेड-1 राज्य स्तर पर	-तदैव-	-तदैव-
	स्टेनो टायपिस्ट	-तदैव-	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 राज्य स्तर पर	-तदैव-	-तदैव-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुराग श्रीवास्तव, उप सचिव

Bhopal, the 8th May 2001

No.F-3-165-95-XI - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment of The Madhya Pradesh Class III (Ministerial) forest Services, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement - (i) These rules may be called the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions - In these Rules, unless the context otherwise requires -

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means such authority to whom power of appointment to that service or post has been or may hereafter be delegated by the Government.
- (b) "Examination" means the competitive examination for recruitment of the service under rule II;
- (c) "Governor" means the Governor of the Madhya Pradesh..
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh"
- (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens specified by the State Government vide Notification No. F-85-25-4-84, dated the 26th December 1984 as amended from time to time;
- (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.
- (g) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India.
- (h) "Scheduled Tribe" means any Tribe or Tribal community or part of group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of the Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution.
- (i) "Selection Committee" means the committee constituted as specified in column 6 of Schedule IV;
- (j) "State" means the State of Madhya Pradesh.
- (k) "Service" means the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Service.

3. Scope and Application - Without prejudice to the generality of the provision contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) rules, 1961, these Rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of Service - The service shall consist of the following persons, namely :-

- (1) Persons who at the commencement of these Rules are holding substantively the post specified in Schedule 1;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these Rules, and
- (2) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification Scale of pay etc. - the classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule 1.

Provided that the Government may, from time to time add or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment (1) Recruitment to the service after commencement of these Rules, shall be made by the following methods, namely:-

- (a) By direct recruitment through Competitive Examination.
- (b) By promotion of members of service as specified in column (2) of Schedule IV.
- (c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts, in such service as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule-II of the number of duty posts shown in Schedule I.

(3) Subject to the provision of these rules, the methods or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each methods shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority, the exigency of the service so require, the appointing authority may with prior concurrence of Government in the General Administration department adopt such method of requirement to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribed.

7. Appointment to the Service - All appointments to the service after commencement of these Rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection as specified in rule 6.

8. Conditions of Eligibility of Direct Recruitment - In order to be eligible for selection/competitive examination, the candidate must satisfy the following conditions, namely :-

- (1) Age:
 - (a) He must have attained the age as prescribed in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column(4) of the said

Schedule on the first day of January next following the date of commencement of selection.

- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years to a women candidate in accordance with the provision of Rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-
 - i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.
 - ii) A candidate who is a temporary Governemnt Servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to work charged employees and contingency paid employees, and persons employed in Project implementing Committees.
 - iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 year.

Explanation: - The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service or this State or if any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years period to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- iv) A candidate who is n ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:-The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years vefore the date

of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on –
 - (a) Completion of short term appointment.
 - (b) fulfilling the conditions of enrolment.
 - (3) ex-personal of Madras Civil Unit.
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service is Regular Commissioned Officers.
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies
 - (6) Ex-servicemen invalidated out of service.
 - (7) Ex-servicemen discharge on the ground that they are unlikely to become efficient solders.
 - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.
-
- (e) The general upper age shall be 35 years in respect of the widows destitute and divorced women candidates.
 - (f) Upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 2 years for "Green Card Holder" candidates under Family Welfare Programme.
 - (g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.
 - (h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of "Vikram Award" holders candidates.
 - (i) The upper age shall be relaxable up to a maximum 38 years for employees of Madhya Pradesh State Corporations / Board.
 - (j) The upper age shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note:- I) Candidate who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-rule 1(C) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Note:- 11) Age limit will not be relaxed in any other case. Departmental candidates must obtain prior permission of the appointing authority to appear for selection.

(2) Educational qualification :- Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Scheduled III

Provided that -

(a) In exceptional cases on the recommendations of the appointing authority treat as qualified a candidate who through not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institution by such a standard, which is the opinion of the appointing authority justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination/selection, and

(b) Candidate who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities being universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the appointing authority.

(2) Fees - The candidate must pay the fees prescribed by the Appointment Authority.

(9) Disqualification - Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the appointing authority to disqualify him for examination/interview/selection.

(10) Appointing Authority's decision about the eligibility of the Candidate, shall be final - The decision of the appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate shall be permitted to appear for the examination/interview who is not given admission certificate by the Appointing authority.

(11) Direct Recruitment by Competitive Examination -

1. (i) Examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may from time to time determine.

(ii) Examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders as the issued by the Government from time to time.

(2) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhada Vergon Ke Liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No.21 of 1994).

(3) 30 percent posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of Woman) rules, 1997.

- (4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to the rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidate.
 - (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes and Other Backward Classes, declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled tribes and Other backward Classes as the case may be, under sub-rule(3)
 - (6) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of appointing authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled tribe and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the appointing authority may relax the condition of experience to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (12) List of Candidates Recommended by the Selection Committee –
- (1) The Selection Committee shall forward to the appointing authority a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as the committee may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, as are declared by the selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for information to the general public.
 - (2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
 - (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such inquiry, as may be necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
 - (4) The list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Appointing Authority.
13. Probation - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.
14. Appointment by promotion –
- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :
Provided that, for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provision of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke Liye Arakshan) Abhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall be adhered to.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limit on the extent of zone of consideration) Rules, 1997

(4) The procedure and other conditions for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions should by the Government in the General Administration Department of the Government from time to time.

15. Condition for Eligibility for Promotion/transfer - (1) (a) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of persons who on the 1st day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made as specified in Column (4) of Schedule IV.

(b) For Promotion on the post of Accountant and its higher posts it is compulsory to pass Accounts Training.

(c) Promotion to the 25% posts of vacancies in the Assistant Grade III shall be made from such Class IV staff according to seniority who have passed old Higher Secondary or High School examination in 10+2 system from recognized Board and have completed continuous five years service in that Class IV post.

(2) For the zone of consideration the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration) rules, 1997 shall be apply.

16. Preparation of List of Suitable candidates - (1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 15 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class IV to Class III and Class III to Class III, the criteria shall be seniority subject to fitness.

(3) The name of persons included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list:

Provided that any junior employee, who in the opinion of the committee is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of employee senior to him.

Explanation - A person, whose name is included in the selected list but not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review for revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Select List - (1) The appointing authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and he considers no change is necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the change proposed and after taking into account the comments if any of the committee, may approve the list finally with such modification, if any, as may in the opinion be just an proper.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the post mentioned in Column (3) of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 16 but its validity will not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the selected list, as special review of the select list may be made by the committee at the instance of the appointing authority if it thinks fit, remove the name of such persons, from the select list.

18. Appointment to the Service from the Select List - (1) Appointment of the person included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow in the order in which the names of such persons appear in the select list:

Provided that, where administrative exigencies so requires a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the appointing authority is satisfied that the vacancy is not likely to last more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before the appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation - Every person recruited in the service shall be appointed on probation for a period of 2 years, but even if the post of promotion is of direct recruitment then the probation period of those posts shall be the same as prescribed for the said post.

20 Interpretation - If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21 Relaxation - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply to such manner as

may appear to him to be adjust and equitable. Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him, than that provided in these rules.

22 Saving - Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time of time in this regard.

23. Repeal and Saving - All rules corresponding to these rules are in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
ANURAG SHRIVASTAVA, Dy.Secy.

SCHEDULE - 1
(See Rule 5)

No.	No. of Posts included in the service	No. of Posts			Classification on	Pay Scale
		Permanent	Temporary	Other temp posts		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	Superintendent Head Office & Circle Office	30	12		Class III Ministerial	5000-150-8000
2-	Acctt. Superintendent Head Office & Circle Office & Division office	99	15		Class III Ministerial	4500-125-7000
3-	Statistical Assistant Head office	2	1		Class III Ministerial	4500-125-7000
4-	Assistant Grade-1 Head Office & Circle Office & Division office	194	61		Class III Ministerial	4500-125-7000
5-	Assistant/Esst. Clerk Head Head Office & Circle Office & Division office	1010	409		Class III Ministerial	4000-100-6000
6-	Assistant Grade-2 Head Office & Circle Office & Division office	485	188		Class III Ministerial	4000-100-6000
7-	Steno Typist	12	16		Class III Ministerial	3050-75-3950-80-4590+ Spl Pay sanctione by COMP from time to time
8-	Computer Operator	9			Class III Ministerial	3500-80-4700
9-	Assistant Grade-3 Head Office & Circle Office & Division office & Range Office	2285	586		Class III Ministerial	3050-75-3950-80-4590
10-	Steno Grade-I Head Office	12	4		Class III Ministerial	6500-200-10500
11-	Steno Grade-II Head Office & Circle Office	36	14		Class III Ministerial	5500-175-9000
12-	Steno Grade-III Head Office & Circle Office, Division Office	135	66		Class III Ministerial	4500-125-7000
13-	Time Keeper	1			Class III Ministerial	3050-75-3950-80-4590

SCHEDULE - II
(See Rule 6)

Name of the Department	Name of Service & Post		No. of Duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
	Service	Posy		By Direct recruitment through competitive examination (see rule 6 - a)	By promotion of member of the service (see rule 6- b)	By transfer or deputation of persons from other service (see rule 6-c)
1	2		3	4	5	6
Forest Deptt.	Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Service	Superintendent Head Office & Circle Office	42		100%	
		Acctt. Superintendent Head Office & Circle Office & Division office	114		100%	
		Statistical Assistant Head office	3			100%
		Assistant Grade-1 Head Office & Circle Office & Division office	225		100%	By Deputation in case suitable persons are not available
		Assistant/Esst. Clerk Head Head Office & Circle Office & Division office	1419		100%	
		Assistant Grade-2 Head Office & Circle Office & Division office	773		100%	
		Steno Typist	28	100%		
		Computer Operator	9	100%		
		Assistant Grade-3 Head Office & Circle Office & Division office & Range Office	2871	75%	25% from eligible Class IV staff	
		Steno Grade-I Head Office	16		100%	
		Steno Grade-II Head Office & Circle Office	50		100%	
		Steno Grade-III Head Office & Circle Office, Division Office	201	50%	50% from cadre of eligible Steno Typist	
		Time Keeper*	1	100%		

* The post of Time Keeper is vacant due to closure of Shellac Factory.

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of Dept.	Name of Service & Post		Minimum Age	Maximum Age	Qualification prescribed
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Forest Deptt.	M.P. Class III (Ministerial) Forest Service	Asst. Grade-III Range Clerk Time Keeper (Shellac Factory)	18yrs	30yrs & as per rule 8(1)	Must have passed Higher Secondary Examination (Old) or High School Examination in 10+2 system from an recognized Board Institution and have sufficient Knowledge of Hindi in addition to have eligibility he must have passed Hindi Typing examination from M.P. Shorthand & Typing Examination Board or Recognised Institute
	M.P. Class III (Ministerial) Forest Service	Steno	18yrs	30yrs & as per rule 8(1)	1- Must have passed Higher Secondary Examination (Old) or High School Examination in 10+2 system from an recognized Board Institution and have sufficient Knowledge of Hindi. 2- Must have passed . Shorthand & Typing Examination Board or Recognised Institute with minimum speed of 100 words per minute.
	M.P. Class III (Ministerial) Forest Service	Computer Operator	18yrs	30yrs & as per rule 8(1)	Graduate from Recognized University
	M.P. Class III (Ministerial) Forest Service	Steno Typist	18yrs	30yrs & as per rule 8(1)	1- Must have passed Higher Secondary Examination (Old) or High School Examination in 10+2 system from an recognized Board Institution or M.P. Boad 2- Typing Exam from . Shorthand & Typing Examination Board or Recognised Institution 3- Shorthand with minimum speed of 60 words per minute

Note: it is compulsory for the candidate that he must have passed Board Higher Secondary. High School in 10+2 System or Graduate level examination from School/College situated in Madhya Pradesh. If for any post eligibility is, prescribed below Higher Secondary then that exam also be passed from school situated in Madhya Pradesh.

SCHEDULE - IV
(See Rule - 14)

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Service Experience	Name of Service or post to which promotion is to be made	Promotion procedure or selection procedure	Name of the members of departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Forest	Class IV servant Circle & Division Office	5 Years Regular Service	Asst Grade III Circle Office	Seniority cum Merit	Three DFO's for promotion in Division and Circle Office
	Class IV Subordinate Head Office	5 Years Regular Service	Asst Grade III Head Office	Seniority cum Merit	Three DFO's
	Asst Grade-III Circle Office & Division Office	5 Years Regular Service	Asst Grade II Circle & Division Office	Seniority cum Merit	Three DFO's
	Asst Grade-III Head Office	5 Years Regular Service	Asst Grade II Head Office	Seniority cum Merit	Three DFO's
	Asst Grade-II Computer Head Office	3 Years Regular Service	Accountant Head Office	Seniority cum Merit	Three DFO's
	Asst Grade-II Circle Office & Division Office	3 Years Regular Service	Accountant/Estt. Clerk Circle Office & Division Office	Seniority cum Merit	Three DFO's
	Accountant Head Office	3 Years Regular Service	Asst Grade-I/Asst Supdt/Head Clerk Head Office	Seniority cum Merit	For Head office & State Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time
	Accountant/Estt. Clerk Circle Office & Division Office	3 Years Regular Service	Asst Grade-I Clerk Circle Office & Division Office	Seniority cum Merit	For Head office & State Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time
	Asstt. Grade-I at State Level	2 Years Regular Service	Acctt. Supdt at State Level	Seniority cum Merit	For Head office & State Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time
	Acctt. Supdt at State Level	3 Years Regular Service	Supdt at State Level	Seniority cum Merit	For Head office & State Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time
	Steno Grade-III	5 Years Regular	Steno Grade II at	Seniority	For Head office & State

		Service	State Level	cum Merit	Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time
	Steno Grade-II	5 Years Regular Service	Steno Grade I at State Level	Seniority cum Merit	For Head office & State Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time
	Steno typist	5 Years Regular Service	Steno Grade III at State Level	Seniority cum Merit	For Head office & State Level Promotion 1- APCCF (Non-Gaz) 2- APCCF (Gaz) 3- CF (Head Off.) who shall be selected by PCCF from time to time

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SHRIVASTAVA, Dy.Secy.